छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11.03.15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य भासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजनाः–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना होगा।

1.2 योजना के अंतर्गत महिला कर्मकार को गर्भधारण के प्रथम तिमाही (तीसरे माह में) रूपये 4,200/– एवं तृतीय तिमाही (आठवें माह में) में रूपये 2,800/– प्रसूति लाभ एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में रूपये 3,000/– की सहायता पुरूष कर्मकार को बच्चे के जन्म के पश्चात् देय होगी।

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

1.4 प्रसूति सहायता योजना अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी।

1.5 प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र/पुत्री एक से अधिक होने पर उत्तराधिकारियों को बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक चाहे पुरूष हो या स्त्री, पति या पत्नि मे से कोई भी ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के रूप में पंजीयन है तो उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा।

2.2 किन्तु सार्वजनिक एवं भाासकीय संस्थाओं में नियमित रूप से कार्य कर रहे ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिकों अथवा उनकी पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ मण्डल द्वारा नहीं दिया जावेगा।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

3.1 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जोवगा।

3.2 आवेदिका/आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

3.3 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

4 भुगतान की प्रकिया–

4.1 संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारीी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के स्वयं के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जावेगा।

5 विसंगति का निराकरण–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

10/3/15

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग